न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती सुप्रिया आर. ए. एस.**)

श्योभागसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 9 कस्बा बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

...........प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं

2. उम्मेद सिंह पुत्र अमर सिंह

3. जीवराज सिंह पुत्र अमर सिंह (फौत)

3/1 विरेन्द्रसिंह पुत्र जीवराज सिंह

3/2 नरेन्द्र सिंह पुत्र जीवराज सिंह

जतिगण राजपूत निवासी वार्ड नं. 9 कस्बा बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं

4. नगरपालिका मण्डल बगड़ जरिये अधिशाषी अधिकारी

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत दुरूस्त किये जाने नक्शा तरमीम

प्रकरण संख्या:— 65/2019 निर्णय दिनांक:— 24.08.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि मौजा ग्राम कस्बा बगड़ में गत खसरा नं. 673 की भूमि में रकबा 3 बिघा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पूर्वजों की कब्जा काश्त की भूमि रही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा उक्त भूमि खसरा नं. 673 (जिसके वर्तमान खसरा नं. 334/2059 कायम किये गये किन्तु नक्शा वास्तविक नक्शे के विपरीत कायम कर दिया) में से रकबा 0.76 है. का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को खातेदार घोषित कर दिया। गत खसरा नं. 673 से भूमि बंदोबस्त के दौरान दो नये खसरा नं. 334 व 334/2059 कायम किये गये। धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सैटलमैंट का एक ही नक्शा था जिसके आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 2 व 3 के हक व अधिकार की भूमियों का सीमांकन किया जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में कब्जा काश्त के आधार पर सीमा विवाद निपटारे का प्रावधान रहा है। किन्तु ऑपरेशन सैटलमैंट के दौरान सैटलमैंट वालों ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि व वर्तमान खसरा नं. 334/259 तथा नगर पालिका बगड़ की भूमि खसरा नं. 334 का नक्शा सही कायम नहीं किया जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दुरूस्ती हेतु निवेदन किया।

उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बिरजू सिंह उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित आये। सभी पक्षकारान को नोटिस तामील करवाकर दिनांक 13.08.2022 को पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु ली गई परन्तु पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका। राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनूं से ली

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

है। तहसीलदार झुंझुनूं ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/1345 दिनांक 18.05.2022 द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। रिपोर्ट में खसरा नम्बरान में रकबे का स्पष्ट अंकन नहीं होने पर पुनः रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/3658 दिनांक 07.12.2022 के द्वारा पुनः रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाई गई। संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2022 के अनुसार खसरा नं. 334/2059 का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान में खातेदारों का कब्जा काश्त खसरा नं. 334 में पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रकबा 0.53 है0 पर एवं खसरा नं. 334/2059 में 0.23 है0 पर है। संलग्न नई व पुरानी नक्शा सीट का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पक्षकारान को सुना गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि (i) ऑपरेशन सैटलमैंट के दौरान सैटलमैंट वालों ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि व वर्तमान खसरा नं. 334/259 तथा नगर पालिका बगड़ की भूमि खसरा नं. 334 का नक्शा सही कायम नहीं किया (ii) संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2022 के अनुसार खसरा नं. 334/2059 का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान में खातेदारों का कब्जा काश्त खसरा नं. 334 में पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रकबा 0.53 है0 पर एवं खसरा नं. 334/2059 में 0.23 है0 पर है। (ii) तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/3658 दिनांक 07.12.2022 में मौकानुसार नक्शा सीट दुरूस्त किये जाने की स्पष्ट अभिषंशा की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जान उचित प्रतीत होता है। लिहाजा :–

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं की अभिशंषा के अनुसार पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/3658 दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार नक्शा सीट दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार तहसीदार मुताबिक रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner